

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-47 / 2018-19

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.01.2019	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक-34, दिनांक-18.01.2019 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक/आवेदिका धीरेन तांती, पिता/पति- स्व० सुको तांती, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- चेलाबेड़ा, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा- वार्ड नं०-15, चक्रधरपुर, थाना- चक्रधरपुर, थाना नं०- 68, खाता नं०- 20, प्लॉट नं०- 355, रकवा- 0.05 ए०, आवासीय भूमि चक्रधरपुर नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्रेता विनय कुमार महतो, पिता/पति- स्व० जगन्नाथ महतो, जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- चन्द्री, पो०- चैनपुर, थाना- चक्रधरपुर, जिला- प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक/आवेदिका धीरेन तांती, पिता/पति- स्व० सुको तांती, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- चेलाबेड़ा, पो०+थाना- चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। क्रेता एवं बिक्रेता उक्त भूमि बिक्रय हेतु सहमत है। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता का थाना- चक्रधरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति तांती (अ०पि०वर्ग०), एवं क्रेता का जाति- कुर्मी (अ०पि०वर्ग०), समुदाय के सदस्य हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात बिक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा- 1.27 ए०, अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप बिक्रेता धीरेन तांती, पिता/पति- स्व० सुको तांती, जाति- तांती (अ०पि०वर्ग०), ग्राम- चेलाबेड़ा, पो०+थाना- चक्रधरपुर, को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें। लेखापित</p>	
	<p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	<p style="text-align: right;"><i>(Signature)</i> भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>